<u>बजट-2026-2027 /समयबद्ध/ अनुस्मारक-II</u>

संख्या-1/2026/बी-3-01/दस-2026

प्रेषक,

दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-3 लखनऊःदिनांकः 01 जनवरी, 2026

विषयः-वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक पर मा0वित्त मंत्री जी के बजट भाषण हेतु बजट सामग्री उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक पर मा0वित्त मंत्री जी के बजट भाषण हेतु बजट सामग्री वित्त विभाग को उपलब्ध कराये जाने विषयक वित्त विभाग के पत्र संख्या 7/2025/ बी-3-209/दस-2025, दिनांक 24-10-2025 एवं अनुस्मारक पत्र संख्या-9/2025/बी-3-250/दस-2025, दिनांक 04 दिसम्बर, 2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- कई विभागों द्वारा अभी तक बजट भाषण हेतु सामग्री वित्त विभाग को उपलब्ध नहीं करायी गयी है और जिन कतिपय विभागों द्वारा जो सामग्री उपलब्ध करायी गई है वह अत्यधिक लम्बी है तथा उनमें गुणात्मकता का अभाव है। आप अवगत है कि बजट भाषण, बजट साहित्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है, जिसके माध्यम से राज्य सरकार की महत्वपूर्ण नीतियों, कार्यक्रमों एवं विजन (Vision) का सारगर्भित संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया जाता है। प्रदेश एवं देश के विशेषज्ञों एवं अर्थशास्त्रियों आदि द्वारा भी मुख्यतः बजट भाषण के आधार पर बजट का विश्लेषण किया जाता है।

3- अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया बजट भाषण हेतु अधिकतम 02 पृष्ठों में सारगर्भित सामग्री स्वयं तैयार कराकर वित्त विभाग को **<u>विलम्बतम 08 जनवरी, 2026 तक</u>** उपलब्ध कराने का कष्ट करें। उक्त सामग्री में रोजगार सृजन, विकास, नवाचार आधुनिक तकनीक के उपयोग को बढ़ावा, शोध को बढ़ावा एवं अवस्थापना विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों तथा महिला, युवा, किसान एवं दुर्बल वर्ग के सशक्तीकरण की योजनाओं का संक्षेप में उल्लेख किया जाय। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 01 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में विकसित किये जाने हेतु विभाग के लिये चिन्हित योजनाओं/कार्यक्रमों को बजट में सम्मिलित किये जाने का विशेष रूप से उल्लेख किया जाय। यह भी ध्यान रखा जाये कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण हेतु सामग्री तथा मा0वित्त मंत्री जी के बजट भाषण हेतु सामग्री में कोई तथ्यात्मक विसंगति न हो।

4- पुनः अनुरोध करना है कि कृपया बजट भाषण हेतु प्रेषित की जाने वाली सामग्री को संक्षिप्त एवं सारगर्भित रखा जाय तथा वित्त विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

भवदीय,

दीपक कुमार
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

प्रतिलिपि-

1- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन।

2. निजी सचिव, सचिव, वित, उत्तर प्रदेश शासन।

3- समस्त विशेष सचिव, वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग उत्तर प्रदेश शासन को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अपने नियंत्रणाधीन विभागों से समन्वय कर मा0वित्त मंत्री जी के बजट भाषण हेतु समयान्तर्गत बजट सामग्री उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।